


नगर पालिका, देवली

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)



क्रमांक:

LSG/DEOLI/MUT/2021-22/20752

दिनांक:

28-01-2022

कार्यालय आदेश

विषय: - नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

आवेदक का विवरण

नाम श्री/श्रीमती :

1. SHREE DEVNARAYAN GRAM VIKAS SANSTHANTONK S/O
SHREE DEVNARAYAN GRAM VIKAS SANSTHAN

पता :

SHREE DEVNARAYAN GRAM VIKAS SANSTHAN TONK, WARD NO
25, TONK/, TONK, TONK, RAJASTHAN, 304001

मूल पट्टाधारी का विवरण

नाम श्री/श्रीमती :

1. RAJENDRA BAGDI S/O KANHAIYA LAL BAGDI

शर्तें:-

उपरोक्त विषय व विवरण के आधार पर लेखा है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), रजिस्टर्ड पट्टा विलेज की फोटोप्रति, रजि० विकस पत्र की फोटोप्रति, रजि० हस्तान्तरण पत्र की फोटोप्रति, आवेदक के पिता का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, व अन्य दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के आधार पर निम्न संपत्ति

KHASRA NO.- RAJSVGRAMHANUMANNAGARKSHIRAN582458415842, KOTA ROAD HANUMAN
NAGAR, DEOLI

PLOT AREA: 6582SQ.YARDS, PLOT FACING: SOUTH-WEST

का नाम हस्तान्तरण उक्त किसी के अधिकारों को प्रभावित किये बिना उक्त नियमों एवं शर्तों पर आवेदक के नाम स्वीकार किया जाता है, जिन नियमों एवं शर्तों के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा पूर्व में विकास प्राधिकरण/नगरीय निकाय द्वारा मूल पट्टाधारी को जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड के प्रति बकाया राशि आप स्वयं जमा करायेंगे।

उपरोक्त नाम हस्तान्तरण पत्र, केवल नगर पालिका, देवली द्वारा मान्यता अनुमोदन करने एवं नियमानुसार ऋण प्राप्त करने आदि हेतु निम्न के रिकार्ड में इन्द्राज किया जाता है। इस नाम हस्तान्तरण पत्र से आपकी, उपरोक्त भूखण्ड के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद होने पर कानूनी हक प्राप्त नहीं होगा, साथ ही आवेदक द्वारा निम्न में प्रस्तुत दस्तावेजों में अगर कोई तथ्य भिन्न पाये जाते हैं या इन दस्तावेजों की वैधता को लेकर स्वाभिस्य बाबत कोई तथ्य/बात उत्पन्न होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी एवं यह नाम हस्तान्तरण पत्र स्वतः ही प्रथम दृष्टया निरस्त समझा जायेगा।

सरकार का हाथ
जनता के साथ

प्रमाणित फोटो प्रति

अधिकाधिकारी
नगर पालिका देवली


Signature valid

Digitally signed by Sush Kumar
Meena
Designation : Commissioner
Date: 2022.01.28 15:54:40 IST
Reason: Approved



है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथार्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि:- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थागत प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व के लीजधारक के रूप में लीजधारक से वसूलीय



प्रमाणित फोटो
अधिसापे अधिकारी
नगर पालिका देवली

उपपंजीयक
देवली, जिला-टोंक


9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस 'पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।


परिशिष्ट

कस्बे का नाम : देवली पूर्व ख.नं. 584/1 एवं 584/2 की शेष भूमि पश्चिम ख.नं. 580 की खातेदारी भूमि
राजस्व ग्राम : हनुमान नगर सीमा उत्तर ख.नं. 573 दक्षिण ख.नं. 584/3 की भूमि मानचित्र संलग्न है।
खसरा नम्बर : 584/1 रकबा 2.00 बीघा, ख.नं. 584/2 रकबा 3.04 बीघा एवं 582/4 रकबा 0.08 बीघा कुल रकबा 5.12 बीघा में से 3.08 बीघा. अर्थात् 5503.72 वर्गमीटर या 6582.40 वर्गगज (संस्थागत)
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/
मीटर 5503.72 वर्गमीटर/6582.40 वर्ग गज
इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से
आज सन् 2015 के माह मार्च के 30^{वें} दिन
श्री कैलाश सोनी अध्यक्ष, नगरपालिका देवली (टोंक)
ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।


प्रथम पक्ष
(अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मोहर)

आज सन् 2015 के माह मार्च के 30^{वें} दिन
श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर, (तहसीलदार) अधिशाषी अधिकारी, न.पा.देवली
(टोंक) ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।


प्रथम पक्ष
(अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

आज सन् 2015 के माह मार्च के 30^{वें} दिन

श्री राजेन्द्र बागडी पुत्र कन्हैयालाल बागडी के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये:-


(लीजधारक - द्वितीय पक्ष)

साक्षी :-

1.

नाम भारतीय पुत्र राजेन्द्र बागडी

पुत्र राजेन्द्र बागडी पुत्र श्री कन्हैयालाल बागडी

व्यवसाय दुकान

निवास स्थान निवेश संतोषी देवली


2.


नाम भारतीय पुत्र श्री कन्हैयालाल बागडी

पुत्र श्री कन्हैयालाल बागडी

व्यवसाय दुकान

निवास स्थान देवली


साक्षी
प्रमाणित फोटो प्रति
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका देवली


उपपंजीयक
देवली, जिला-टोंक